अनवानः– अजाराम बनाम नरसी
मुकदमा नम्बरः– 15/2024
निर्णय तारीखः– 01.08.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 15/2024
जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2024/264

प्रार्थीगण

1. अजाराम पुत्र नरसीराम।
2. तलकाराम पुत्र नरसीराम।
3. मावाराम पुत्र नरसीराम।
4. हरिराम पुत्र नरसीराम जातियान मेघवाल निवासीगण हरियाली तहसील सांचौर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. नरसी पुत्र खुशाला गोद हमीरा जाति मेघवंशी निवासी हरियाली तहसील सांचौर।
2. लाबु पुत्र खुशाला गोद हमीरा जाति मेघवंशी निवासी हरियाली तहसील सांचौर।
3. सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर, जिला सांचौर (राज.)।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजु :– 17.12.2024

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री विजय कुमार सिंह राठौड़, श्री छगनाराम मेघवाल उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 से 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश कुमार बाजक, श्री नरेन्द्र कुमार डांगरा।
3. अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से राजपैरोकार तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

:– निर्णय :–

दिनांकः– 01.08.2025

1. अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि [illegible] मौजा हरियाली तहसील सांचौर में प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि वर्तमान खसरा नं. 946 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म गै.मु.ढाणी स्थित हैं। जिस पर प्रार्थीगण बतौर खातेदार निर्बाध रूप से सहज व शांतिपूर्वक काबिज काश्त हैं। तथा प्रार्थीगण अन्दर बनी ढाणी में अपने परिवार सहित निवास करते हैं। उक्त आराजी की मौका पर कब्जा काश्त मुताबिक गिरदावरी भी प्रार्थीगण के नाम इन्द्राज होती रही है। नकल वर्तमान जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न आवेदन पत्र प्रस्तुत हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजी में आवागमन का एकमात्र रास्ता अप्रार्थी सं. 01 व 02

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:[illegible]:25 IST
Reason: SelfAttested

के खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 945 रकबा 0.55 हैक्टर किस्म बारानी सोयम में से होकर गुजर रहा है। जिसकी चौड़ाई 05 मीटर हैं। प्रार्थीगण ने अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ठ अ में प्रदर्शित मार्क ए से बी के बीच उक्त रास्ता आवेदित दर्शित किया है। प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 946 रकबा 0.03 हैक्टर मौजा हरियाली में आवागमन का वादग्रस्त रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थीगण के समक्ष अपने खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 946 में आवागमन हेतु वादग्रस्त रास्ता की आवश्यक्ता अत्यन्तिक हैं। तथा यह मांग कतई अपनी जोत के सुविधापूर्ण होकर अवैधानिक कतई नही हैं। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 01, 02 के साथ आपसी समझाईश से मामला सुलह कर रास्ता की मांग करने पर वे इससे इंकार कर रहे हैं। तथा आपसी समझाईश से मामला निपटने की कोई गुंजाईश नही हैं। प्रार्थीगण रास्ते हेतु अवाप्ति हेतु प्रस्तावित भूधृति का मुआवजा अदा करने को तैयार हैं। अतः सशपथ यह आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का यह आवेदन पत्र बाद सुनवाई स्वीकार फरमाकर प्रार्थीगण को अपने खातेदारी व कब्जा काश्त की मौजा–हरियाली में स्थित वादग्रस्त भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 946 रकबा 0.03 हेक्टर किस्म गै.मु.ढाणी में आवागमन हेतु अतिआवश्यक रास्ता के लिये मौजा–हरियाली की वर्तमान खसरा नम्बर 945 रकबा 0.55 हैक्टर में से 05 मीटर चौडे व प्रार्थीगण के खातेदारी तक लम्बे रास्ते की भूधृति सरकारी कटाण रास्ता के रूप में राजहक में भू–अवाप्त कर राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता इन्द्राज (वर्तमान जमाबंदी व वर्तमान नक्शा ट्रेस) में नक्शा परिशिष्ठ अ में प्रदर्शित मार्क ए से बी के बीच किये जाने का तहसीलदार सांचौर के नाम आदेश जारी फरमावें।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना–दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, अप्रार्थी संख्या 1 से 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश कुमार बाजक, श्री नरेन्द्र कुमार डांगरा द्वारा वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 3 राजपैरोकार की ओर से तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

3. अप्रार्थी 1 से 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश कुमार बाजक, श्री नरेन्द्र कुमार डांगरा द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है किः– प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में मौजा–हरियाली के खसरा नंबर–946 रकबा 0.03 हैक्टर भूमि जो गैर मुमकीन ढांणी होने के बावजूद उसे खातेदारी भूमि गलत दर्शा[illegible] जबकि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा–हरियाली के खसरा नंबर–947 रकबा [illegible] हैक्टर किस्म चाही सोयम, जाव सोयम व खसरा नंबर–952 रकबा 0.06 हैक्टर [illegible]ही सोयम, जाव सोयम की स्थित हैं तथा उक्त प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि खसरा न[illegible]–947 व 952 से लगता हुआ खेत खसरा नंबर–956 रकबा 0.72 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम जो प्रार्थीगण के सगे काकाई भाई अणदाराम, भूरा, हरदा पिसरांन बागा, दिनेश कुमार, प्रकाश कुमार, रणछोडाराम पिसरांन उदारामजी, जातियॅान–मेघवंशी, साकिन–हरियाली की खातेदारी का खेत आयां हुआ हैं तथा उक्त खेत खसरा नंबर–956 से लगता हुआ कटाण रास्ता आया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:24:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

अनवानः– अजाराम बनाम नरसी
मुकदमा नम्बरः– 15 / 2024
निर्णय तारीखः– 01.08.2025

हुआ हैं तथा उक्त खेत खसरा नंबर–956, 952, 947 की खातेदारी प्रार्थीगण व अणदा वगैरा के सामलाती खातेदारी की थी तथा उसके बाद प्रार्थीगण व अणदा वगैरा ने बंटवाडा करने से खसरे अलग अलग प्रार्थीगण व अणदा वगैरा के हिस्से में आए हैं मगर प्रार्थीगण खेत खसरा नंबर–956 में से होकर खसरा नंबर–956 से लगते हुए सरकारी कटाण रास्ते से अपने पूर्वजों के समय से आवागमन करते आ रहे हैं। प्रार्थीगण का हमारी खातेदारी भूमि खसरा नंबर–945 में से होकर कभी कोई रास्ता न तो चलता था एवं न ही हैं तथा न ही कभी प्रार्थीगण ने हमारे खेत खसरा नंबर–945 में से होकर आवागमन ही किया हैं। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी के खेत खसरा नंबर–947 व 952 को प्रार्थना पत्र में नहीं दर्शाकर केवल मात्र गैर मुमकीन ढांणी को प्रार्थना पत्र में दर्शाकर आधा अधूरा व गलत प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नंबर–945 में से होकर कभी कोई रास्ता प्रार्थीगण के आवागमन का न तो चलता था एवं न ही चल रहा हैं। प्रार्थीगण का रास्ता जो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा–हरियाली के खसरा नंबर–947 रकबा–1.00 हैक्टर किस्म चाही सोयम, जाव सोयम व खसरा नंबर–952 रकबा 0.06 हैक्टर चाही सोयम, जाव सोयम की स्थित हैं तथा उक्त प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि खसरा नंबर–947 व 952 से लगता हुआ खेत खसरा नंबर–956 रकबा 0.72 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम जो प्रार्थीगण के सगे काकाई भाई अणदाराम, भूरा, हरदा पिसरांन बागा, दिनेश कुमार, प्रकाश कुमार, रणछोडाराम पिसरांन उदारामजी, जातियॉन–मेघवंशी, साकिन–हरियाली की खातेदारी का खेत आया हुआ हैं। प्रार्थीगण खेत खसरा नंबर–956 में से होकर खसरा नंबर–956 से लगते हुए सरकारी कटाण रास्ते से अपने पूर्वजों के समय से आवागमन करते आ रहे हैं। प्रार्थीगण का हमारी खातेदारी भूमि खसरा नंबर–945 में से होकर कभी कोई रास्ता न तो चलता था एवं न ही हैं तथा न ही कभी प्रार्थीगण ने हमारे खेत खसरा नंबर–945 में से होकर आवागमन ही किया हैं। प्रार्थीगण का आवागमन का रास्ता उनकी खातेदारी भूमि खेत खसरा नंबर–947 व 952 से लगती हुई उनके चाचाई भाई अणदा वगैरा की खातेदारी खेत खसरा नंबर–956 में से होकर खसरा नंबर–956 से लगते हुए कटाण रास्ता से रास्ता आया हुआ था तथा वहीं से प्रार्थीगण अपने बाप–दादों के समय से आवागमन करते आ रहे हैं। अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खेत खसरा नंबर–945 में से होकर प्रार्थीगण का कभी कोई रास्ता नहीं चलता था एवं न ही प्रार्थीगण हम अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर–945 में से रास्ते की मांग करने के कानूनिया अधिकारी ही हैं। प्रार्थीगण ने गलत एवं विधि विरूद्ध प्रार्थना पत्र माननीय अदालत में पेश किया हैं जो क्षेत्राधिकार के अभाव में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज हैं। अतः जवाब पेश कर माननीय अदालत से निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन, बलहीन व मनघड़न्त तथ्यों पर आधारित होने से खारिज करने की कृपा करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:24:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

4. बहस उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों का उल्लेख करते हुए नवीन मार्ग राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन, बलहीन व मनधड़न्त तथ्यों पर आधारित होने से खारिज फरमावे। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेजात्, नजरी नक्शा, एवं भू अभिलेख निरीक्षक अरणाय की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 26.04.2025 का गहनता से अध्ययन कर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया।

5. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'क' में निम्नलिखित विधिक प्रावधान है :– 251'क' अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना विधमान मार्ग का विस्तार करना

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है।

गैर मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि

(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि [illegible] पाइपलाइन बिछाने का एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौ[illegible] करने [illegible] अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो [illegible] अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:24:25 IST
Reason: SelfAttested

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपभारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

6. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि रास्ता उसी दशा में स्वीकृत किया जावेगा, जब खातेदार को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हो, तथा निकटतम स्थान से स्वीकृत किया जावेगा। प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के खातेदार खेत पहुंचाने हेतु कोई रिकॉर्ड मार्ग तो उपलब्ध नहीं है। भू अभिलेख निरीक्षक अरणाय की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 26.04.2025 से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के अपने खातेदारी में पहुंचने हेतु नवीन मार्ग की मांग की गई है। भू अभिलेख निरीक्षक अरणाय की रिपोर्ट अनुसार खसरा नंबर 945 में संकेत **ए से बी** तक रेकर्ड अनुसार 28 मीटर की दूरी है तथा बीच सीमेन्ट की ईंटों से ओरड़ी बनी हुई है एवं खसरा नम्बर 955 में संकेत **सी से डी** की दूरी भी 28 मीटर है। खसरा नम्बर 955 से पूर्व खसरा नम्बर 957 एवं बाद का खसरा नम्बर 952 प्रार्थीगण के सामलाती खातेदारी खेत है। भू अभिलेख निरीक्षक अरणाय की जांच रिपोर्ट एवं प्रार्थीगण द्वारा की गई मांग, सलंग्न दस्तावेजात, नजरी नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 955 से वर्तमान में कोई रास्ता प्रचलित नहीं है एव उससे पूर्व व बाद में प्रार्थीगण के सामलाती खातेदारी खेत है अतः खसरा नम्बर 957, 955, 952 से प्रार्थीगण को रास्ता स्वीकृत करना विधि संगत नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 945 जिसमें पूर्व से ही रास्ता प्रयोग में आ रहा है। अप्रार्थीगण के जवाब व मौका रिपोर्ट में उक्त प्रस्तावित रास्ते में वर्तमान में सीमेन्ट की ईंटों से ओरड़ी क निर्माण किया हुआ है। उक्त निर्माण प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र आवेदन के बाद निर्माण किया गया, जो मात्र रास्ते को अवरुद्व की नियत से किया जाना प्रतीत होता है। प्रार्थीगण का वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार उक्त रास्ता निकटतम है वर्तमान में उक्त रास्ते पर नवीन निर्माण ओरड़ी के अलावा कोई वृक्ष व ढाणी अवस्थित नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत हैं कि सरहद मौजा हरियाली पटवार हल्का हरियाली के खसरा संख्या 945 रकबा 0.55 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम से भू अभिलेख निरीक्षक अरणाय द्वारा प्रस्तावित मौका जांच रिपोर्ट अनुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं विधि संगत समझते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:24:25 IST
Reason: SelfAttested

:— आदेश —:

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने तथा सारवन होने से स्वीकार किया जाता है । भू अभिलेख निरीक्षक अरणाय की मौका जांच रिपोर्ट के प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार ग्राम हरियाली पटवार हल्का हरियाली के खसरा संख्या 945 रकबा 0.55 हेक्टेयर भूमि में से 4 मीटर चौड़ाई रखते हुये तहसीलदार सांचौर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 70 एक व दो के अनुसार वर्तमान डीएलसी दर की दुगुनी राशि की गणना कर निर्धारण प्रतिकार राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर खसरा संख्या 945 के खातेदार को रास्ता प्रयोजनार्थ खातेदारी से कम की गई भूमि का भुगतान करावे। प्रार्थीगण द्वारा राशि जमा करवाने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं भौतिक रूप से मौके पर सीमांकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावे। अप्रार्थी खातेदार द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उसे तब तक जमा रखे जब तक की ऐसे खातेदार राशि प्राप्त न कर लें। इस राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। तहसीलदार सांचौर को पालना तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **01.08.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:24:25 IST
Reason: SelfAttested